झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0	गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड अन्तर्गत वर्ष-2018-19 में सोन नदी किनारे ग्राम श्रीनगर से काण्डी मझिआंव होते गढ़वा जिला मुख्यालय तक पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। संवेदक द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अनेक ग्राम के सामने मिट्टी कोड़ कर छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन बाधित है। जो भी कार्य किया गया है वह प्राक्कलन के अनुरुप नहीं है। घटिया कार्य के बावजूद विभाग द्वारा अधिकांश राशि की निकासी कर ली गई है जब कि कार्य अभी भी अधूरा है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि संवेदक तथा दोषियों पर कार्रवाई करते हुए अंतिम भुगतान पर रोक लगाई जाए।	पथ निर्माण
02-	श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	वर्ष- 2000 बिहार से झारखण्ड राज्य गठन के समय राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षण के कुल-154 स्वीकृत पद प्राप्त हुए थे। लगभग 30 वर्षो से अधिक समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही झारखण्ड में इसकी नियमावली ही	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		बन पाई है। नियुक्ति नहीं होने के कारण इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के प्रोन्नति एवं सेवानिवृति के पश्चात् वर्त्तमान में मात्र 18 सहायक वन संरक्षक शेष रह गये है, जिसमें 09 वन प्रमण्डल के प्रभार में तथा शेष 09 विभिन्न प्रमण्डलों/कार्यालयों में कार्यरत है। इसी प्रकार वन क्षेत्र पदाधिकारी के स्वीकृत बल-383 के विरूद्ध मात्र 61, वनपाल के स्वीकृत पद-1062 के विरूद्ध मात्र-05-06 तथा वनरक्षी के स्वीकृत पद 3883 में से मात्र 1608 ही कार्यरत है। जो कि पद के विरूद्ध अत्यधिक कम है, यदि यथाशीघ्र नियुक्ति नहीं की गई तो आगामी वर्षो में सेवानिवृति होकर अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद शून्य हो जायेंगे। उपरोक्त सभी पद वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु अग्रपंकित सहित कार्यपालक पद है, जिसके बगैर वनों की सुरक्षा एवं विकास कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि सम्बंधित विभाग में शीघ्रताशीघ्र आपातकालीन बैठक कर नियुक्ति हेतु कार्रवाई ली जाय या जब तक नियुक्ति नहीं होती है तबतक के लिए तत्काल वर्ष- 2019 में संविदा पर नियुक्ति हेतु बनाये गये नियम के आधार पर उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय हीत में निर्णय लिया जाय।	
03-	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	सिमडेगा जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जा ट्रांसफार्मर की बहुत कमी है जिसके कारण उपभोगताओं को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई एवं कृषि कार्य भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दूँ कि खराब पड़े ट्रांसफार्मर भी समय से मरम्मती का कार्य नहीं हो रहा है ऐसे में जल्द से जल्द पुराना ट्रांसफार्मर	

01.	02.	03.	04.
		को ठीक कर उपभोगताओं को विद्युत उपलब्ध करायी जाय। सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि कुछ विभागीय कर्मियों की लापरवाही के चलते बनावटी समस्या उत्पन्न की जाती है, और खराब ट्रांसफार्मर बनाने के बाद उसे बाँटने में अनियमितता बरती जा रही है। सरकार को बदनाम करने के नियत से जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि उपभोगताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री केदार हजरा स0वि0स0 श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0	गिरिडीह जिला के जमुआ विधान सभा के जमुआ प्रखण्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है:- (1)-30 उच्च विद्यालय भितरडीह नामांकित छात्र-छात्राऐं की संख्या- 1200 है। (2)-30+2 उच्च विद्यालय भवडीहा नामांकित छात्र एवं छात्राऐं की संख्या- 1500 है। लेकिन इन विद्यालयों के वर्ग कक्षाओं की काफी कमी है जिससे छात्र एवं छात्राओं पठन-पाठन के काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ग कक्षा भवन निर्माण कराया जाय।	स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता
05-	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0	विदित हो कि गर्मी का मौसम प्रारंभ होने वाला है। जामताड़ा जिला ड्राई जोन एरिया अन्तर्गत आता है। जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में पानी के उपलब्ध स्त्रोत यथा चापानल, कुआँ, इत्यादि जल्द ही सूख जाते हैं। शहर वासियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत अन्तर्गत नगरवासी नगर पंचायत को होल्डिंग टैक्स नियमित रूप से अदा करते हैं।	पेयजल एवं स्वच्छता

01.	02.	03.	04.
		ऐसे में नगर पंचायत का कर्त्तव्य होता है कि ऐसी कठिन घड़ी में नगर वासियों को नियमित रूप से पेय जलापूर्ति करें जिसके वे हकदार हैं। परन्तु नगर पंचायत के द्वारा इस मामले में संवेदनशीलता नहीं बरती जाती है, जिसके फलस्वरूप लोगों को पेयजल के लिये घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है एवं विधि–व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले शहर वासियों को नगर पंचायत के माध्यम से नियमित रूप से पेय जलापूर्ति के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में इसकी मांग करता हूँ।	

रॉंची,
दिनांक– 28 फरवरी, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–86/2024–..2973..../वि0 स0, रॉंची, दिनांक–27/02/24

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रॉंची/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–86/2024–..2973../वि0 स0, रॉंची, दिनांक–27/02/24

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सुभाष/–

27/02/24